

म.सं.1-2(च.अ.)/2015-ग्रा.स्वा.

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र,

नजफगढ़, नई दिल्ली-110043.

ईमेल-rhtcnajafgarh@gmail.com

दिनांक 7.12.2015

रिक्ति सूचना

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली -43 में अनुबंध के आधार पर सलाहकार (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के लए ।

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र नजफगढ़ में 65 वर्ष तक की आयु के मे डकल कांठ सल आफ इं डया (एम.सी.आई.) द्वारा मान्यता प्राप्त मे डकल का लज से एमबीबीएस व पीजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) योग्यता तथा मे डकल कांठ सल आफ इं डया राज्य मे डकल कांठ सल से पंजीकृत मे डकल स्नातकों से अस्थायी सलाहकार (प्रसूति एवं स्त्री रोग) पद हेतु नीचे दिए गए ववरण के अनुसार आवेदन आमंत्रित किया है:

1. आयु : 65 वर्ष से कम
2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : मे डकल कांठ सल आफ इं डया (एम.सी.आई.) द्वारा मान्यता प्राप्त मे डकल का लज से एमबीबीएस व पीजी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) योग्यता तथा मे डकल कांठ सल आफ इं डया राज्य मे डकल कांठ सल से पंजीकृत
3. पारिश्रमिक : समेकत राश रूपये 45000/- प्रति माह
4. नियुक्ति की अवधि : शुरू में छः माह के लए
5. रिक्तियों की संख्या : 01 (एक)
6. पोस्टिंग की जगह : चयनित अभ्यर्थी ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र में कसी भी वभाग में निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र के अधीन कार्य करेंगे ।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा के साथ सत्यापित शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रति लप और अनुभव प्रमाण पत्र, इस वजापन के प्रकाश होने के सात दिनों के अन्दर, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली -43 को भेजे । इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 22.12.2015, 2:30 बजे अपराह्न को सीधे साक्षात्कार के लए निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र के कक्ष में प्रस्तुत हो सकते हैं ।

डा. आर.एन. राय

निदेशक

[दूरभाष : 011-25321874/25321848](tel:011-25321874/25321848)

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र,
नजफगढ़, नई दिल्ली-110043.

अनुबंध के आधार पर सलाहकार (प्रसूति एवं स्त्री रोग) की नियुक्ति के लए नियम एवं शर्तें ।

1. नियुक्ति पूर्ण रूप से अनुबंध के आधार पर कार्यभार संभालने की तिथि से छह माह के लये (जिसे संतोषजनक कार्य निष्पादन के अनुसार एक वर्ष के लए बढ़ाया जा सकता है ।) या नियम त भर्ती होने, जो भी पहले हो तक होगी। नियुक्ति कसी भी समय (कसी भी तरफ से) सात दिनों के नोटिस देकर या एक माह का वेतन देकर बिना कारण बताए या छहः माह की संतोषजनक अवध पूर्ण होने से पहले सक्षम अधकारी द्वारा समाप्त की जा सकती है ।
2. चयनित अभ्यर्थी दिये गये कार्य का निष्पादन करेगा/करेगी । सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार कसी भी तरह का कार्य दे सकते हैं । इस तरह के कार्य निष्पादन हेतु कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा ।
3. चयनित अभ्यर्थी नियम त अधकारी एवं कर्मचारी को मलने वाले कसी भी तरह के लाभ जैसे क भवष्य निध, पेंशन, ग्रेच्युटी, चकत्सा लाभ आदि का हकदार नहीं होगा ।
4. चयनित अभ्यर्थी को गैर अभ्यास भत्ता नहीं दिया जाएगा ।
5. चयनित अभ्यर्थी सीएचएस के अधीन कसी भी तरह की नियम त नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।
6. केवल समेकत पारिश्रमक देय होगा । सरकारी अधकारी एवं कर्मचारी को मलने वाले भत्ते देय नहीं होंगे ।
7. चयनित अभ्यर्थी संस्थान में पूर्णकालक होंगे और कोई अन्य नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे एवं अनुबंध त के दौरान कसी भी तरह का निजि अभ्यास नहीं करेंगे ।
8. सलाहकार (प्रसूति एवं स्त्री रोग) जहां तक संभव हो दवाइयों के रेशनल प्रेसक्रप्सन (साक्ष्य आधारित चकत्सा के अनुसार) सुनिश्चित करेंगे और जेनेरिक दवाइया प्रेसक्राइब करेंगे । .
9. क्यों क यह भर्ती प्राथमक स्वास्थ्य केन्द्र में है, इस लए माह में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त केवल एक ही आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य होगा ।

डा. आर.एन. राय

निदेशक

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र,

नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043

ईमेल-rhtcnajafgarh@gmail.com

दूरभाष : 011-25322065

आवेदन फार्म

स्वयं प्रमाणित
फोटोग्राफ

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. लिंग
4. पत्राचार का पता
5. मोबाइल नं.
6. ईमेल आईडी
7. शैक्षणिक योग्यता
8. सेवा से संबंधित अनुभव का ववरण
9. प्रशिक्षण, यदि कोई हो, का ववरण
10. संलग्न दस्तावेज
 - एमबीबीएस स्नातकोत्तर डिग्री की सत्यापित प्रति
 - आयु प्रमाण पत्र
 - दो पासपोर्ट साइज फोटो
 - मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया राज्य में मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण की प्रति

दिनांक:

स्थान:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर